<u>न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.</u>

(137)

Rs 20/-

निगरानी 2431-II-15

239 / 4-7-15

01. विद्यादेवी पत्नी रामभजन उम्र 50 वर्ष

02. रामभजन तनय ददनराम शुक्ला उम्र 53वर्ष दोनो निवासी पुष्पराज कालोनी सतना तह. रघुराजनगर जिला सतना म.प्र......................निगराकार

<u>बनाम</u>

गिरजा देवी पति के.पी.तिवारी उम्र 59वर्ष पेशा व्यापार निवासी प्रभात बिहार कालोनी सतना तह. रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.............................गैरनिगराकार

श्री .... द्वारा आज दिनांक 04-7-15 को प्रस्तुत किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 का.मा. बिरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के राजस्व अपील क. 7/14-15 मे पारित आदेश दिनांक 16.06.15

क्रमांक.................................
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक........................को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ मे निगराकार निम्न लिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर बिनयी है:-

<u>संक्षिप्त तथ्य</u>

गैरनिगराकार द्वारा बिचारंण न्यायालय तहसीलदार के नामान्तरण आदेश दिनांक 16.08.13 के बिरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमे निगराकार के साथ-साथ आर.यू.सिद्दीकी, बिष्णू त्रिपाठी एवं शासन म.प्र. द्वारा हल्का पटवारी को पक्षकार के रूप मे योजित किया गया जिसके संबंध मे निगराकार द्वारा आपत्ति की गई जिसमे निगराकार के उपस्थिति होने के उपरान्त अपील मेमो परिवर्तित किये जाने

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.2431–II/15 जिला–सतना

विद्यादेवी/गिरजा देवी

f(1)	(2)	(3)
26.04.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	